– फारम सं0 563

देश का संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
03/01/2022	**न्यायालय, आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची** **एस0ए0 आर पुनरीक्षण वाद 92/2013** **हकीमुद्दीन अंसारी व अन्य बनाम बिगा उरांव ।** **आदेश** प्रश्नगत पुनरीक्षण वाद आवेदक के तरफ से अपर समाहर्त्ता, राँची के अपीलवाद संख्या–16–R–15/2012–13 में पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया था। प्रश्नगत् वाद में ग्राम–परहेपाट में अवस्थित खाता नं0–31, प्लॉट नं0–90, रकबा–51 डी0 की भूमि सन्निहित है। उक्त वाद इस न्यायालय में 14.09.2013 को दायर किया गया। दिनांक 22.09.2014 को अपीलार्थी द्वारा इस वाद में अंतिम बार हाजरी दी गयी थी। उक्त तिथि के पश्चात् अपीलार्थी विगत 7 वर्षों से न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। दिनांक 20.12.2021 को आवेदकों को अपना पक्ष रखने हेतु अंतिम मौका दिया गया था। किन्तु निर्धारित तिथि 28.12.2021 को आवेदक पुनः अनुपस्थित रहे। अतः उपलब्ध कागजातों के आधार पर वाद को निष्पादित करने का निर्णय लिया गया। अपीलार्थी का दावा है कि प्रश्नगत् भूमि विपक्षी के पूर्वजों की भूमि है तथा खाता–41, प्लॉट नं0–107, रकबा–0.40 एकड़ भूमि अपीलार्थी के परिवार की है। उक्त दोनों भूमि वर्ष 1942 में आपस में बदलेन के रूप में हस्तान्तरित किया गया तथा वे एक दूसरे के भूमि पर दखलकार हुए। प्रश्नगत् भूमि खेती योग्य नहीं है तथा उक्त भूमि पर आवेदकों का मकान उसी समय से निर्मित है। हाल सर्वे में प्रश्नगत् भूमि पर आवेदकों का ही दखल पाया गया था। निम्न न्यायालयों के आदेशों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्लॉट नं0–90 बिरसा उरांव व अन्य के नाम से कायमी दर्ज है। इस प्रकार	

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
	यह भूमि आदिवासी रैयती भूमि है। उक्त भूमि को बदलेन के रूप में प्राप्त किया जाना काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के पूर्णतः विपरीत है। इस आधार पर भूमि सुधार उप समाहर्त्ता न्यायलय द्वारा भूमि वापसी का आदेश पारित किया गया था। अपीलीय न्यायालय द्वारा भी उक्त आदेशों को सम्पुष्ट किया गया है। बदलेन के आधार पर आदिवासी रैयती भूमि प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है। आवेदक द्वारा इस न्यायालय में कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। तथा आवेदक विगत 7 वर्षो से लगातार अनुपस्थित भी है। वर्णित परिस्थिति में इस पुनरीक्षण आवेदन को मान्य करने का कोई आधार नहीं है। अतः इसे खारीज किया जाता है। आदेश की एक प्रति अपर समाहर्त्ता, राँची को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित करें। लेखापित एवं संशोधित। आयुक्त 29/11/22 आयुक्त 29/11/22

Digitally signed by NITIN MADAN KULKARNI
Date: 2022.07.23 16:54:43 +05:30
Location: 192.168.1.40